Ph. & Fax : 01364-233207
email : cdupjnrudraprayag@gmail.com

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2183 / वन भूमि / 64 दिनांक 27-8-2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1699/12-1-2 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा इस शाखा की तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों की बिन्दुवार निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण नहीं दर्शाया गया है।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण परियोजना के अन्तर्गत वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने के कारण का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
2	आप द्वारा प्रपत्र–9 में अंकित किया गया है कि वैकल्पिक संरेखण में अधिक वृक्ष आने के कारण संरेखण निरस्त किया गया, किन्तु वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गयी है तथा यह भी अंकित नहीं किया गया है कि तीन संरेखणों में से एक उपयुक्त पाया गया जबकि तालिका में दो ही संरेखण अंकित किये गये हैं।	प्रपत्र–9 लागू नहीं है।
3	प्रपत्र–11 में वन ब्लॉक का नाम नहीं भरा गया है।	प्रपत्र–11 में वन ब्लॉक का नाम अंकित कर दिया गया है।
4	प्रपत्र–12 में आरक्षित वन ब्लॉक व वन पंचायत का नाम अंकित किया जाये।	प्रपत्र–12 में आरक्षित वन ब्लॉक व वन पंचायत का नाम अंकित कर दिया गया है।
5	प्रपत्र –19 में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी के प्रमाण पत्र को मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 एवं आधुनिकरण 85 राजपुर रोड़, वन मुख्यालय देहरादून से तैयार करवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र –19 में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी के प्रमाण पत्र को संलग्न कर दिया गया है।
6	वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।	सम्बन्धित वन पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया हैं।
7	प्रभावित होने वाली वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।	प्रभावित होने वाली वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रपत्र–33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों व जनसंख्या भरी जाये।	प्रपत्र–33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या अंकित कर दी गयी है।

अतः उक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण एवं आवश्यक संशोधन करते हुये वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता